सहायता
29.10.25

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(23)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 186/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सलूम्बर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 528 दिनांक 09.09.2025 एवं 556 दिनांक 10.10.2025 के आधार पर पंचायत समिति, सलूम्बर तह. सराड़ा के 02 कार्य हेतु राशि रूपये 1.50 लाख, सानिवि जिला खण्ड, सलूम्बर तह. सलूम्बर के 123 कार्य हेतु राशि रूपये 197.55 लाख, सानिवि जिला खण्ड, सलूम्बर तह. सराड़ा के 58 कार्य हेतु राशि रूपये 106.50 लाख, सानिवि जिला खण्ड, सलूम्बर तह. जयसमंद के 55 कार्य हेतु राशि रूपये 93.37 लाख एवं सानिवि जिला खण्ड, सेमारी तह. सेमारी के 51 कार्य हेतु राशि रूपये 102.80 लाख **कुल 289 कार्यों हेतु राशि रूपयें 501.72 लाख (अक्षरे रूपये पांच करोड़ एक लाख बहत्तर हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे सड़कें जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 1?:42:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18510233
eSign 1.0

8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–
2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
106– खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08)– (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]– [सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

11. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमन्त्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।

12. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

13. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

14. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

15. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।

16. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:42:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18510233
eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **सलूम्बर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   पंचायत समिति, सलूम्बर तह. सलूम्बर के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में क्षति की दिनांक एवं वर्षा अंकित नहीं की गयी है, जिसके कारण सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया जाना संभव नही है। अतः प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

   सानिवि जिला सलूम्बर तह. सलूम्बर के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र. सं. 02 में ओडीआर सड़क हेतु राशि 7.20 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। उक्त कार्य को कम करते हुए प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत किये गये है।

   सानिवि जिला खण्ड सेमारी तह. सेमारी के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव के क्र.सं. 02 में ओडीआर सड़क हेतु राशि रूपयें 13.20 लाख की मांग की गई है, उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण प्रस्ताव के शेष 51 कार्यो हेतु राशि रूपयें 102.80 लाख स्वीकृत किये गये है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, सलूम्बर।

शासन उप सचिव

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.29 10:42:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18510233
eSign 1.0

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग , खण्ड सलूम्बर

दिनांक : 04/11/2025

क्रमांक : 2151

श्रीमान् जिला कलक्टर (सहायता)
सलूम्बर।

विषय : मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के तखमीने भिजवाने बाबत्।

प्रसंग : आपके कार्यालय पत्रांक एफ.05( )बाढ़/सहायता/प्र.स्वी./2025/573 दिनांक 30.10.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि मानसून वर्ष 2025 मे अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के ब्लॉक सराडा के 58 सड़क कार्यों के लिए 106.50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई तद्नुसार कार्यों के एस्टीमेट बना तक़नीकी स्वीकृति जारी कर भेजी जा रही है, कृप्या वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का कष्ट करावे।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विभाग	ब्लॉक	क्षतिग्रस्त सड़कों का नाम	तकनीकी स्वीकृति कमांक	तकनीकी राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	7		
1.	सा.नि.वि. खण्ड सलूम्बर	सराडा	ऋषभदेव बलुआ सराडा मैन रोड से उदई फला	275/25-26	1.80	1.80
2.	-एजन-	सराडा	बाणाकला से सु. खेडा	276/25-26	3.60	3.60
3	-एजन-	सराडा	बेडा बलुआ से चेतरी फला	277/25-26	1.80	1.80
4	-एजन-	सराडा	बलुआ से रिजवा घाटी	278/25-26	2.10	2.10
5	-एजन-	सराडा	मैन रोड से बोर तलाई	279/25-26	1.92	1.92
6	-एजन-	सराडा	मैन रोड से काला पायरा से धावडिया	280/25-26	2.40	2.40
7	-एजन-	सराडा	मैन रोड से मुडला	281/25-26	1.80	1.80
8	-एजन-	सराडा	मल्लाडा से कन्या तलाई	282/25-26	1.50	1.50
9	-एजन-	सराडा	मल्लाडा से हनुमान मन्दिर तक	283/25-26	0.60	0.60
10	-एजन-	सराडा	मल्लाडा से टोडा	284/25-26	2.40	2.40
11.	-एजन-	सराडा	लिम्बडी से बड़ावली	285/25-26	2.40	2.40
12	-एजन-	सराडा	सम्पर्क सड़क कछोटा	286/25-26	0.90	0.90
13	-एजन-	सराडा	सम्पर्क सड़क भेरवा	287/25-26	1.50	1.50
14	-एजन-	सराडा	सम्पर्क सड़क गोपालपुरा	288/25-26	1.50	1.50
15	-एजन-	सराडा	सर्सिया से बदलाई	289/25-26	1.50	1.50
16	-एजन-	सराडा	सगतडा से चोकडा लिम्बडी	290/25-26	1.50	1.50

क्र. सं.	विभाग	ब्लॉक	क्षतिग्रस्त सड़कों का नाम	तकनीकी स्वीकृति कमांक	तकनीकी राशि	स्वीकृत राशि
17	–एजन–	सराडा	उबा पाणा से निम्बोदा खरबर पराई मैन रोड से उपली वायरी	291/25–26	1.80	1.80
18	–एजन–	सराडा	उबा पाणा से निम्बोदा खरबर पराई मैन रोड से निचली वायरी	292/25–26	1.80	1.80
19	–एजन–	सराडा	चावण्ड से ससेई	293/25–26	3.60	3.60
20	–एजन–	सराडा	नया टुकडा से बेडा बलुआ	294/25–26	2.10	2.10
21	–एजन–	सराडा	नया टुकडा विराट फला	295/25–26	2.10	2.10
22	–एजन–	सराडा	नई बस्ती से पटेलों की भागल	296/25–26	1.50	1.50
23	–एजन–	सराडा	गोडदरा से खेरकी नाल	297/25–26	1.20	1.20
24	–एजन–	सराडा	खोडी मुठडी से सड़क सोंगा बावसी	298/25–26	1.20	1.20
25	–एजन–	सराडा	ए.आर. आन्तरी मलान	299/25–26	0.90	0.90
26	–एजन–	सराडा	सम्पर्क सडक माकड़ वाडिया	300/25–26	1.80	1.80
27	–एजन–	सराडा	सम्पर्क सड़क माताजी कटावला	301/25–26	1.50	1.50
28	–एजन–	सराडा	मायर से जोयरा फला	302/25–26	1.50	1.50
29	–एजन–	सराडा	डिगरी बडावली सड़क से अलेली	303/25–26	1.50	1.50
30	–एजन–	सराडा	माण्डवा से सोमावत फला	304/25–26	1.50	1.50
31	–एजन–	सराडा	सर्सिया से टिलावत फला	305/25–26	0.90	0.90
32	–एजन–	सराडा	सम्पर्क सडक लालपूरिया	306/25–26	1.80	1.80
33	–एजन–	सराडा	डिंगरी बड़गांव सल्लाडा बडावली ईण्टाली सड़क	307/25–26	7.80	7.80
34	–एजन–	सराडा	कोलर से काली घाटी रोड	308/25–26	1.80	1.80
35	–एजन–	सराडा	सम्पर्क सड़क मनात फला	309/25–26	1.50	1.50
36	–एजन–	सराडा	सम्पर्क सड़क धान तलाई	310/25–26	1.50	1.50
37	–एजन–	सराडा	बलुआ से जोधावत फला	311/25–26	1.50	1.50
38	–एजन–	सराडा	ए.आर. मकोडिया घाटी	312/25–26	1.02	1.02
39	–एजन–	सराडा	ए.आर. हमीरगढ वाया पनवा से छिकरी मगरी तक	313/25–26	1.50	1.50
40	–एजन–	सराडा	कातनवाडा से शिवजी मंदिर तक	314/25–26	0.60	.0.60
41	–एजन–	सराडा	बडा चौराया से बामनिया	315/25–26	2.10	2.10
42	–एजन–	सराडा	बडा चौराया से मडास	316/25–26	1.50	1.50
43	–एजन–	सराडा	बडा चौराया से भगता फला तक	317/25–26	2.40	2.40
44	–एजन–	सराडा	बनाल से रमा खेत	318/25–26	1.50	1.50
45	–एजन–	सराडा	सम्पर्क सड़क वनैया	319/25–26	1.62	1.62
46	–एजन–	सराडा	बड़ावली से राता खेत	320/25–26	1.92	1.92

क्र. सं.	विभाग	ब्लॉक	क्षतिग्रस्त सड़कों का नाम	तकनीकी स्वीकृति कमांक	तकनीकी राशि	स्वीकृत राशि
47	—एजन—	सराडा	खोडी मउडी से ससेई स्कूल तक	321/25—26	0.90	0.90
48	—एजन—	सराडा	ए.आर. डेलवास से मैन रोड चनावदा तक	322/25—26	1.20	1.20
49	—एजन—	सराडा	निचली वायरी	323/25—26	2.10	2.10
50	—एजन—	सराडा	खेरकी से खोडी मउडी	324/25—26	1.80	1.80
51	—एजन—	सराडा	कनकपुरा से. बरोठी	325/25—26	1.8.	1.8.
52	—एजन—	सराडा	कनेला से दो नदी	326/25—26	1.20	1.20
53	—एजन—	सराडा	सम्पर्क सडक मालवा	327/25—26	1.80	1.80
54	—एजन—	सराडा	डिंगरी से चावण्ड	328/25—26	2.40	2.40
55	—एजन—	सराडा	कातनवाडा से चावण्ड	329/25—26	1.20	1.20
56	—एजन—	सराडा	सम्पर्क सड़क पाल सेपुर	330/25—26	1.02	1.02
57	—एजन—	सराडा	सम्पर्क सड़क चावण्ड से बण्डोली	331/25—26	2.10	2.10
58	—एजन—	सराडा	सलूम्बर से चावण्ड	332/25—26	4.80	4.80
			कुल योग		106.50	106.50

संलग्न : उपरोक्तानुसार 58 तखमीनें।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड सलूम्बर

राजस्थान–सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, (सहायता)सलूम्बर (राज.)

दिनांकः– यथा हस्ताक्षर

क्रमांकः–एफ.05( )बाढ़/सहायता/प्र.स्वी./2025/573

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु उपखण्ड अधिकारी सराडा के द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(23) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज 18510233 जयपुर दिनांक 29.10.2025 के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड सलूम्बर तह. सराडा के 58 कार्य हेतु राशि रूपये 106.50 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी ऐजेन्सी :– सार्वजनिक निर्माण विभाग,सलूम्बर

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्मपति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति/ सड़क का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से स्वीकृत मरम्मत योग्य राशि लाखो में लाखों में
1	सराडा	सड़क	ऋषभदेव बलुआ सराड़ा मंन रोड़ से उदई फला	1.80	1.80
2	सराडा	सड़क	बाणा कला से सु.खेड़ा	3.60	3.60
3	सराडा	सड़क	बेडा बलुआ से चेतरी फला	1.80	1.80
4	सराडा	सड़क	बलुआ से रिजवा घाटी	2.10	2.10
5	सराडा	सड़क	मेन रोड़ से बोर तलाई	1.92	1.92
6	सराडा	सड़क	मेन रोड़ से काला पायरा से धावड़िया	2.40	2.40
7	सराडा	सड़क	मेन रोड से मुड़ला	1.80	1.80
8	सराडा	सड़क	मल्लाड़ा से कन्या तलाई	1.50	1.50
9	सराडा	सड़क	मल्लाड़ा से हनुमान मन्दिर तक	0.60	0.60
10	सराडा	सड़क	मल्लाड़ा से टोड़ा	2.40	2.40
11	सराडा	सड़क	लिमबड़ी से बड़ावली	2.40	2.40

RajKaj Ref No.:
18546071
eSign 1.0

Validity unknown
Digitally signed by Avdhesh Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.30 15:07:13 IST
Reason: Approved

12	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क कछोटा	0.90	0.90
13	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क भेरवा	1.50	1.50
14	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क गोपालपुरा	1.50	1.50
15	सराडा	सड़क	सर्सिया से बदलाई	1.50	1.50
16	सराडा	सड़क	सगतडा से चोकड़ा लिम्बड़ी	1.50	1.50
17	सराडा	सड़क	उबा पाणा से निम्बोदा खरबर पराई मेन रोड़ से उपली वायरी	1.80	1.80
18	सराडा	सड़क	उबा पाणा से निम्बोदा खरबर पराई मेन रोड़ से निचली वायरी	1.80	1.80
19	सराडा	सड़क	चावण्ड से ससेई	3.60	3.60
20	सराडा	सड़क	नया टुकड़ा से बेड़ा बलुआ	2.10	2.10
21	सराडा	सड़क	नया टुकड़ा विराट फला	2.10	2.10
22	सराडा	सड़क	नई बस्ती से पटेलो की भागल	1.50	1.50
23	सराडा	सड़क	गोडदरा से खेरकीनाल	1.20	1.20
24	सराडा	सड़क	खोड़ी मुठड़ी से सड़क सॉगा बावसी	1.20	1.20
25	सराडा	सड़क	ऐ.आर. आन्तरी मलान	0.90	0.90
26	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क माकड़ वाड़िया	1.80	1.80
27	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क माताजी कटावला	1.50	1.50
28	सराडा	सड़क	मायर से जोयरा फला	1.50	1.50
29	सराडा	सड़क	डिगरी बडावली सडक से अलेली	1.50	1.50
30	सराडा	सड़क	माण्डवा से सोमावत फला	1.50	1.50
31	सराडा	सड़क	सर्सिया से टिलावत फला	0.90	0.90
32	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क लालपूरीया	1.80	1.80
33	सराडा	सड़क	डिंगरी बड़गांव सल्लाड़ा बडावली ईण्टाली सड़क	7.80	7.80

RajKaj Ref No.:
18546071
eSign 1.0

Validity unknown
Digitally signed by Avdhesh Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.30 15:07:13 IST
Reason: Approved

34	सराडा	सड़क	कोलर से काली घाटी रोड़	1.80	1.80
35	सराडा	सड़क	सम्पर्क सडक मनात फला	1.50	1.50
36	सराडा	सड़क	सम्पर्क सडक धान तलाई	1.50	1.50
37	सराडा	सड़क	बलुआ से जोधावत फला	1.50	1.50
38	सराडा	सड़क	ऐ आर मकोडिया घाटी	1.02	1.02
39	सराडा	सड़क	ऐ आर हमीरगड वाया पनवा से छिकरी मगरी तक	1.50	1.50
40	सराडा	सड़क	कातनवाडा से शिव जी मन्दिर तफ	0.60	0.60
41	सराडा	सड़क	बडा चौराया से बामनिया	2.10	2.10
42	सराडा	सड़क	बडा चौराया से मडास	1.50	1.50
43	सराडा	सड़क	बडा चौराया से भगता फला तक	2.40	2.40
44	सराडा	सड़क	बनाल से रामा खेत	1.50	1.50
45	सराडा	सड़क	सम्पर्क सडक वनैया	1.62	1.62
46	सराडा	सड़क	बड़ावली से राता खेत	1.92	1.92
47	सराडा	सड़क	खोडी मउडी से ससेई स्कुल तक	0.90	0.90
48	सराडा	सड़क	ऐ आर डेलवास से मेन रोड़ चनावदा तक	1.20	1.20
49	सराडा	सड़क	निचली वायरी	2.10	2.10
50	सराडा	सड़क	खेरकी से खोड़ी मउड़ी	1.80	1.80
51	सराडा	सड़क	कनकपुरा से बरोठी	1.80	1.80
52	सराडा	सड़क	कनेला से दो नदी	1.20	1.20
53	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क मालवा	1.80	1.80
54	सराडा	सड़क	डीगंरी से चावण्ड	2.40	2.40
55	सराडा	सड़क	कातनवाड़ा से चावण्ड	1.20	1.20
56	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क पाल सेपुर	1.02	1.02

RajKaj Ref No.:
18546071
eSign 1.0

Validity unknown
Digitally signed by Avdhesh Mee
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.30 15:07:13 IST
Reason: Approved

57	सराडा	सड़क	सम्पर्क सड़क चावण्ड से बण्डोली	2.10	2.10
58	सराडा	सड़क	सलुम्बर से चावण्ड	4.80	4.80
			कुल योगः–	**106.50**	**106.50**

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :–

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWF & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न कें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
5. ये सम्पतिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध क्षतिग्रस्त सम्पति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के

RajKaj Ref No.:
18546071
eSign 1.0

Validity unknown
Digitally signed by Avdhesh Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.30 15:07:13 IST
Reason: Approved

नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य कराऐं जा सकेंगें।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्षा 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–
2245–प्राकृतिक विपति के कारण राहत
02– बाढ़ चक्रवात आदि।
106–खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्म्त तथा पुनः स्थापना
(08)–(बाढ क्षेत्र में खराब सडको तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)
(01)–(सडको की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)(पी)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर,
सलूम्बर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य्रवाही हेतु :–
1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर ।
3. उपखण्ड अधिकारी, सराडा।
4. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि, सलूम्बर।
5. अधीशाषी अभियंता सा.नि.वि, ब्लॉक सराडा।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला सलूम्बर।
7. सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जिला सलूम्बर।
8. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर,
सलूम्बर

RajKaj Ref No.:
18546071
eSign 1.0

Validity unknown
Digitally signed by Avdhesh Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.30 15:07:13 IST
Reason: Approved